संख्या- 434 /2026/ नौ-5-2026 /001-Com.No.-2084853

प्रेषक,

देवेश मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1- नगर आयुक्त, नगर निगम प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज।
2- अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, नानपारा, जनपद-बहराइच।
3- अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, बड़ागांव(झांसी)/औरास(उन्नाव)/रिसिया(बहराइच)।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक 03 सितंबर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य सेक्टर के 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपुर्यक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में 'सीवरेज एवं जल निकासी' योजना के अन्तर्गत संलग्न सूची में उल्लिखित कार्यो के अनुसार प्रदेश की निम्नलिखित 5 नगरीय निकायों में जल निकासी कार्य हेतु कुल रूपये 509.69 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं उसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में **रू0 255.00 लाख (रूपये दो करोड़ पचपन लाख मात्र)** की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0स0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1	**प्रयागराज**	नगर निगम प्रयागराज	100.00	50.00
2	**झांसी**	नगर पंचायत बड़ागांव	102.60	50.00
3	**बहराइच**	नगर पालिका परिषद नानपारा	95.85	50.00
4	**उन्नाव**	नगर पंचायत औरास	110.84	55.00
5	**बहराइच**	नगर पंचायत रिसिया	100.40	50.00
योग			**509.69**	**255.00**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकायों द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी /सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे संबंधित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी द्वारा निकायों के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। निकायों द्वारा स्वीकृत धनराशि निर्धारित अवधि में उन्हीं कार्यो पर व्यय की जायेगी, जिसके लिए स्वीकृत की गयी है। आहरित धनराशि किसी अन्य डाकघर/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(4) योजनान्तर्गात शासनादेश संख्या-3355/नौ-5-2025-63सा/2025 दिनांक 10 जून, 2025 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन कराया जायेगा।

(5) कार्य पूर्ण होने पर कार्य के सम्परीक्षित लेखे शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि का आहरण कोषागार से सुसंगत नियमों/प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

(7) कार्य की विशिष्टियां मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जायें।

(8) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9) नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करते हुए निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।

(10) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यो की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(11) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड' पर कार्य का पूर्ण विवरण, कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(12) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए वर्क ऑर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही निकाय द्वारा स्वीकृत कार्यों हेतु व्यय की जायेगी।

2- इस संबंध में संबंधित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/ लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्त विभाग को दी जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,55,00,000 (रुपये दो करोड़ पचपन लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

Digitally signed by
DEVESH MISHRA
Date: 03-09-2026 17:59:18

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

संख्या- 434(1)/2026/ नौ-5-2026/001-Com.No.-2084853, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- संबंधित जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4- संबंधित कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- निजी सचिव, माननीय मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9- सूपर यूजर, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

शासनादेश संख्या- 434 /2026/ नौ-5-2026 /001-Com.No.-2084853, दिनांक 03.09.2026 का संलग्नक

क्र0सं0	निकाय का नाम	प्रस्तावित कार्य	आगणित धनराशि	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	**नगर निगम प्रयागराज, जनपद-प्रयागराज**	1- जोन-08 वार्ड-05 कनिहार वैष्णों नगर चौराहा के अण्डर पास के तरफ जाने वाले मार्ग का आर0सी0सी0 नाला का निर्माण कार्य।	**100.00**	
		योग	**100.00**	**50.00**
2	**नगर पंचायत बड़ागांव, जनपद-झांसी**	1- मु० तकियापुरा में शमशान घाट से पानी की टंकी की ओर आर.सी. सी. कवर सहित नाली का नव निर्माण कार्य।	29.93	
		2- राजेन्द्र के मकान से अंबेडकर पार्क तक आर.सी.सी. कवर सहित नाली का नव निर्माण कार्य।	18.06	
		3- मु० तारपाटापुरा में शौचालय से संदीप कुशवाहा के घर तक आर. सी.सी. कवर सहित नाली का नव निर्माण कार्य।	14.52	
		4- मु० हरदौलपुरा में राजकुमार लाइट वाले के मकान से नहर की ओर आर.सी.सी. कवर सहित नाला का नव निर्माण कार्य।	11.44	
		5- मु० तकियापुरा में आदर्श स्कूल से सामुदायिक भवन तक आर.सी.सी. कवर सहित नाली का नव निर्माण कार्य।	10.80	
		6- मु० तकियापुरा में रामू रायकवार के मकान से साबिर अली के मकान की ओर आर.सी.सी. कवर सहित नाली का नव निर्माण कार्य।	17.85	
		योग	**102.60**	**50.00**
3	**नगर पालिका परिषद नानपारा, जनपद-बहराइच**	1- नगर पालिका परिषद नानपारा में मलंगपुरवा रोड पर स्थित राजा की बाग से सरकारी फार्म होते हुए रूपईडीहा नानपारा मेन रोड तक जल निकासी हेतु नाला निर्माण का कार्य।	**95.85**	
		योग	**95.85**	**50.00**
4	**नगर पंचायत औरास, जनपद-उन्नाव**	1- नगर पंचायत औरास के वार्ड शान्ती नगर में प्राथमिक विद्यालय से अनिश के घर तक गहरी नाली का निर्माण कार्य ।	23.91	
		2- नगर पंचायत औरास के विभिन्न स्थानों पर नाली व नाले की मरम्मत व आर.सी.सी. कवर का कार्य।	24.78	
		3- नगर पंचायत औरास के वार्ड श्याम नगर मे बाला जी मन्दिर से मेवालाल डाकिया के घर तक गहरे नाले का निर्माण कार्य।	22.04	
		4- नगर पंचायत औरास के वार्ड अम्बेडकर नगर में लखपति सेनी के घर नियर ब्लॉक रोड से कालू कहार के घर तक नियर पुलिया तक गहरे नाले का निर्माण कार्य।	19.00	
		5- नगर पंचायत औरास के वार्ड अम्बेडकर नगर में बाबू लाल यादव के घर से मडुसूदन पाण्डेय के घर तक सी.सी. गहरे नाले का निर्माण कार्य ।	12.76	
		6- नगर पंचायत औरास के वार्ड शास्त्री नगर में पुलिया टेक के पास आरती रावत के मकान से उमेश सिंह के मकान तक आर.सी.सी. गहरे नाले का निर्माण कार्य	8.35	
		योग	**110.84**	**55.00**
5	**नगर पंचायत रिसिया, जनपद-बहराइच**	1- नगर पंचायत रिसिया के वार्ड नं0-07 मो०-मोहम्मदनगर में फैय्याज के मकान से शिवनाथ विश्वकर्मा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	4.83	
		2- नगर पंचायत रिसिया के वार्ड नं0-07 मो०-मोहम्मदनगर में अवधेश चौधरी के मकान से शिवनाथ विश्वकर्मा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	3.64	
		3- नगर पंचायत रिसिया के वार्ड नं0-07 मो०-मोहम्मदनगर में शिवनाथ के मकान से चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मा के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	4.73	
		4- नगर पंचायत रिसिया के वार्ड नं0-07 मो० मोहम्मदनगर में चन्द्रप्रकाश विश्वकर्मा के मकान से सन्तोष के मकान होते हुए	7.69	

		खोदवा नाला तक नाली निर्माण कार्य।		
		5- नगर पंचायत रिसिया के वार्ड नं0-03 मो०-नानकपुरवा में गोपी सोनी के मकान से झुर्रा के मकान तक नाली निर्माण कार्य	33.97	
		6- नगर पंचायत रिसिया के वार्ड नं0-05 मो०-शास्त्रीनगर में अनिल सिंह के मकान से जगदीश मटीहा धर्मशाला तक नाली निर्माण कार्य।	16.40	
		7- नगर पंचायत रिसिया के वार्ड नं0-07 में मो०-मोहम्मदनगर में प्रमोद मुनीम जी के घर से अजीज के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	12.31	
		8- नगर पंचायत रिसिया के वार्ड नं0-05 मो०-शास्त्रीनगर में सतोषी माता मन्दिर से अशोक गुप्ता के मकान तक नाली निर्माण कार्य।	16.83	
		योग	**100.40**	**50.00**
			729.72	**355.00**

Digitally signed by
DEVESH MISHRA
Date: 03-09-2026 17:58:34

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2026-2027
आवंटन दिनांक-03/09/2026

प्रेषण संख्या:- 434
आवंटन आदेश संख्या:- 001-434-2026-9-5-2026-001-CN-2084853
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)
02 - मल-जल तथा सफाई
107 - मल - जल सेवाएं
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	प्रयागराज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 99773000	5000000 99773000
2	झाँसी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 39903000	5000000 39903000
3	उन्नाव-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5500000 59544000	5500000 59544000
4	बहराइच-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	10000000 100103000	10000000 100103000
	योग	वर्तमान प्रगामी	25500000 299323000	25500000 299323000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ पचपन लाख
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया उन्तीस करोड़ तिरानवे लाख तेइस हजार

(देवेश मिश्र)
संयुक्त सचिव